

प्ररूप 21 ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।

33—मंगलौर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उत्तराखण्ड राज्य की विधान सभा के लिए निर्वाचन।


निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि—

श्री सरवत करीम अंसारी पता मौहल्ला बंदरटोल, मंगलौर जिला हरिद्वार जो बहुजन समाज पार्टी द्वारा खड़े किये गये है।

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान—हरिद्वार।

तारीख—10.03.2022


10.3.2022

रिटर्निंग आफिसर,
विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
33—मंगलौर।

रिटर्निंग आफिसर
33—मंगलौर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र

FORM-21C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

Election to the Legislative Assembly of Utrakhand State from 33-Manglor Assembly constituency .


In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the people Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961. I declare that-

Shri Sarwat Kareem Ansari,

Mohalla Bandartoll Manglore, District Haridwar sponsored by **Bahujan Samaj Party** has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place- Haridwar

Date-10-03-2022


10.3.2022

Returning Officer
33-Manglore
Assembly Constituency